बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–11.07.2017 के अपराह्न 5.00 बजे से राज्य में वर्त्तमान वर्षा तथा नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा हेतु आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की आयोजित बैठक की कार्यवाही –

1. उपस्थिति– यथा संलग्न।

2. <u>भारतीय मौसम विज्ञान विभाग</u>

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में वर्त्तमान में औसत वर्षापात् सामान्य वर्षापात् से 10 प्रतिशत अधिक है। वर्षा की स्थिति कुछ ही जिलों में औसत से कम है, जबकि अधिकांश जिलों में औसत या औसत से अधिक वर्षापात् हुआ है। वर्त्तमान में पूरे राज्य में अच्छी वर्षा हो रही है तथा आगामी दो दिनों तक वर्षापात् होगी, जिससे कम वर्षापात् वाले जिलों में भी इस सप्ताह के उपरान्त वर्षा की स्थिति अच्छी हो जाएगी। दिनांक– 12.07.2017 के बाद राज्य में छिटपुट वर्षापात् होगी, परन्तु पुनः 18 जुलाई 2017 के बाद अच्छी वर्षापात् की संभावना बन रही है।

3. <u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में जलाश्यों में पर्याप्त मात्रा में पानी संरक्षित है। गंडक नदी में 1.36 लाख क्यूसेक, कोसी नदी में 1.94 लाख क्यूरोक तथा सोन नदी में 31 हजार क्यूसेक पानी का स्त्राव (Discharge) हो रहा है। मात्र एक नदी महानंदा का जलस्तर डेंगरा घाट में खतरे के निशान से ऊपर है।

मुख्य सचिव के द्वारा निदेशित किया गया कि मध्यप्रदेश के बाणसागर डैम के जलस्तर पर निगरानी रखी जाय, जिससे इससे पानी अचानक छोड़े जाने पर सोन नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। उनके द्वारा इस डैम से क्रमबद्ध रूप से पानी छोड़ने का अनुरोध करने का परामर्श दिया गया। मुख्य सचिव द्वारा सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी के तटबंधों में रेनकट के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।

4. <u>कृषि विभाग</u>

प्रधान सचिव, कृषि विभाग के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में 92 प्रतिशत बिचड़ा तथा 18.5 प्रतिशत धान का आच्छादन हो चुका है। बीज की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है। माह अगस्त के 15 तारीख तक शत–प्रतिशत धान का आच्छादन होने की संभावना है।

मुख्य सचिव के द्वारा फसल आच्छादन पर सतत् निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

5. **परिवहन विभाग**

प्रधान सचिव, परिवहन के द्वारा बताया गया कि नावों का निबंधन कार्य युद्धस्तर पर चालू है तथा अबतक 3764 नावों का निबंधन किया जा चुका है। नावों के परिचालन में मानकों का अनुपालन कराने हेतु निदेश दिया जा चुका है।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी बताया गया कि सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप–महानिरीक्षक को नाव दुर्घटना रोकने हेतु निदेशित किया जा चुका है।

मुख्य सचिव के द्वारा नाव दुर्घटना के रोकने हेतु समुचित कार्रवाई करने का निदेश परिवहन विभाग को दिया गया।

6. **स्वास्थ्य विभाग**

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में साँप कांटने की दवा उपलब्ध है तथा सभी आवश्यक अन्य दवा उपलब्ध करा दी गई है।

मुख्य सचिव के द्वारा बाढ़ के संभावना के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारी करने का निदेश संबंधित विभागों को दिया गया।

7. **अन्यान्य**

प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि दियारा क्षेत्रों में बाढ़ आने के पूर्व लोग अस्थायी झोपड़ी निर्माण कर गृह मरम्मति की राशि आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं।

मुख्य सचिव के द्वारा सभी दियारा क्षेत्रों में बाढ़ के पूर्व गृह/झोपड़ी का विडियोग्राफी करा लेने का निदेश दिया गया, जिससे बाढ़ के आने के बाद सही ढंग से नष्ट गृह/झोपड़ी का आकलन कर गृह मरम्मति की राशि सुयोग्य लाभुकों को वितरित किया जा सके।

मुख्य सचिव के द्वारा दिनांक–30.06.2017 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में सभी प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव के द्वारा बाढ़/सुखाड़ की समीक्षा हेतु किये गये क्षेत्र भ्रमण की स्थिति एवं समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा करने का भी निदेश दिया गया है।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक– 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II)...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ कृषि विभाग/ सहकारिता विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पथ निर्माण विभाग/सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग/परिवहन विभाग/ बिहार, पटना/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/कार्यपालक अभियंता मिडिल गंगा डिविजन–5, केन्द्रीय जल आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II) 2208 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 28/7/17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28/7

अपर सचिव